संख्या-58/2016/1914 ई-2/तेरह-2016-345/99

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 16 सितम्बर,2016

विषय:- जनपद फिरोजाबाद में आर्यन रेस्टोरेन्ट, जलेसर रोड, थाना-उत्तर, फिरोजाबाद को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-156/एफ0एल0-7बार/जि0आ0अ0/फिरोजाबाद, दिनांक 14 जून,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 10-5-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-80/दस-लाइसेंस-20/एफ0एल0-6,7/खण्ड-3/बार अनुज्ञापन/फिरोजाबाद, दिनांक 12 अगस्त,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती नीरज यादव पत्नी श्री सुधीर कुमार यादव, नि0-नगला भाउ, तहसील व जिला फिरोजाबाद के नाम आर्यन रेस्टोरेन्ट जलेसर रोड, थाना-उत्तर, फिरोजाबाद को वर्ष 2016-17 के लिये एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-58/2016/1914(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या- जी-80/दस-लाइसेंस-20/एफ0एल0-6,7/खण्ड-3/बारअनुज्ञापन/फिरोजाबाद, दिनांक 12 अगस्त,2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।